मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

क्रमांक एफ 4/5/2002/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 30-8-2002 3-9-2002
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मंडल,
समस्त कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :– शासकीय सेवकों के दैनिक भत्ते की दरों का पुनरीक्षण ।

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक डी–98/592/नि–1/चार/93, दिनांक 28 जून, 1993 को निरस्त करते हुए दिनांक 1.1.96 से स्वीकृत नवीन (पुनरीक्षित) वेतनमानों के संदर्भ में यात्रा भत्ते के लिये शासकीय सेवकों की श्रेणी और उनके दौरे के दौरान दैनिक भत्ते की दरें नीचे दिये अनुसार निर्धारित की जाती हैं :–

श्रेणी	वेतन	साधारण दर	विशेषदर (भोपाल,इंदौर,ग्वालियर जबलपुर के लिये)
ए	रुपये 10,650 /–और इससे अधिक और प्रथम श्रेणी अधिकारी	80	120
बी	रूपये 6500 से 10649/–	60	90
सी	रूपये 5000 से 6499/–	48	72
डी	रूपये 5000 /–से कम	32	48

2. प्रदेश के बाहर मुकाम में विशेष दर पर दैनिक भत्ता प्राप्त होगा ।
3. स्थाई यात्रा भत्ते की दरों में निम्नानुसार वृद्धि की जाती है :–

शासकीय सेवक का प्रवर्ग	मासिक दर
राजस्व निरीक्षक, सेटल अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्रामसेवक) क्षेत्रीय पशु चिकित्सा सहायक	200
राजस्व विभाग के ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले पटवारी, जिलों एवं तहसीलों में राजस्व भृत्य तथा जमादार, राजस्व, वाणिज्यिक कर और अन्य न्यायालयों के प्रोसेस सवर, वन विभाग के चैनमैन	150
जिला कार्यकारी बल के हेड कांस्टेबल	80
जिला कार्यकारी बल के कांस्टेबल	75

केवल ऐसे क्षेत्रीय पशु चिकित्सा सहायक को स्थायी यात्रा भत्ते की पात्रता होगी, जो ऐसे पदों/स्थानों पर पदस्थ हों, जहां गहन यात्रा करना आवश्यक हो ।

4: यह दरें दिनांक 1.9.2002 से लागू होंगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.एन.वर्मा)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग